Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 03, Issue 10, pp 493-497, October, 2026

कृषक सदस्यों को सहकारी साख समिति से प्राप्त ऋण कि जागरूकता का अध्ययन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा अभनपुर के अधीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

Ms. Hina Chandrakar [1], Dr. Satvik Jain (Assistant Professor) [2]

[1] Research scholar (First author)
(Ph.D Commerce)
Department of commerce kalinga university Atal nagar naya Raipur (C.G.)
[2] Gauide - Second author
Department of commerce kalinga university Atal nagar naya Raipur (C.G.)

1 परिचय (Introduction)

यह तो सर्वविदित है कि भारत एक ग्रामीण क्षेत्र वाला देश है जहाँ पर गाँव की संख्या और जनसंख्या शहर की तुलना में काफी अधिक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और वन उपज है। इसके साथ ही साथ पशुपालन भी इसमें उपयोगी है। मेरे शोध का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक ऐसे कृषक सदस्य से है जो सहकारी समिति के सदस्य हैं उनको समिति से प्राप्त ऋण की जागरूकता का अध्ययन करना है अर्थात मेरे शोध में इस बात का भी उल्लेख होगा कि हमारे ग्रामीण कृषक समिति के ऋण वितरण व्यवस्था से क्या भलीभांति परिचित हैं वह अपने ऋण के संबंध में सहकारिता विभाग के विभिन्न नियमों से परिचित हैं ऋण की राशि का प्रयोग वह समुचित कार्यों में कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं ऋण राशि के पूर्ण भुगतान के संबंध में तथा उनके आर्थिक प्रभाव इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह शोध पेपर का लेखन किया जा रहा है।19वीं शताब्दी में सहकारिता धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगी। आज स्थिति यह है कि भारत के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की प्रत्यक्ष पहुँच है। सहकारिता के माध्यम से कृषक सदस्यों तक सीधे पहुँच सकते हैं एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हम कृषक सदस्यों को सीधे दे सकते हैं। सहकारिता वह कड़ी है जिसके माध्यम से शासन और ग्रामीणों के बीच मध्यस्थ के रूप में रहती है क्योंकि भारत में निवासरत अधिकांश कृषक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, कम पढ़े-लिखे हैं। शासन की व्यवस्था योजनाओं एवं ऋण आदि के बारे में उनकी जागरूकता का अध्ययन अति आवश्यक है।प्रस्तुत शोध पेपर इसी उद्देश्य के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के एक विकासखंड अभनपुर में स्थापित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से जुड़े सदस्यों पर किया जा रहा है क्योंकि यह विकासखंड नया रायपुर में स्थापित है जहाँ पर राज्य की राजधानी है। शहरी क्षेत्र से लगा हुआ है। इस स्थान का चयन परिणाम को अधिक सार्थक और प्रासंगिक बनाता है।

2 साहित्य समीक्षा (Review of literature)

1. Shetty and Dsouza, (2022). Primary agriculture credit cooperative society a systematic review of literature.

Shetty एवं Dsouza (2022) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों PACS तथा उनके द्वारा वितरित अल्पकालीन कृषि ऋण से संबंधित साहित्य का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। अध्ययन में कृषि ऋण की भूमिका, आवश्यकता एवं महत्व को बताया गया है तथा ऋण प्राप्त होने में किसानों को होने वाली कठिनाइयों तथा प्रक्रिया को भी जोड़ा गया।

2. Chaudhary, A. (2020).Role of PACS in credit distributions in Chhattisgarh Rural Finance Quarterly,6(1), 33-40.

इस लेख में छत्तीसगढ़ की किसानों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण सबसे उपयुक्त पूंजी प्राप्ति का साधन माना गया है जो स्थानीय किसान को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह उनके लिए सबसे सुलभ एवं भरोसेमंद ऋण प्राप्ति का स्रोत साबित हुआ है जो उनके कृषि कार्य के लिए वित्त संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है एवं समय पर उत्पादन हेतु कृषि के लागत कार्यों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराता है। इनके लेख में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के महत्व को उजागर किया है। कृषि में उत्पादकता वृद्धि हेतु अल्पकालीन ऋण महत्वपूर्ण माना है इनके प्रक्रिया अर्थात राज्य सहकारी बैंक से किसानों तक राशि पहुँच के वितरण का अध्ययन किए हैं जिसमें उसकी प्रभावशीलता को दर्शाया है साथ ही शोध में ऋण वितरण की चुनौती जैसे सीमित पूंजी, ऋण किसानों की जागरूकता की कमी पर भी प्रकाश डाला गया हैं।

3. Jain R.S. & Pandey, M.(2022).challenges in Co-operative credit delivery A study of Chhattisgarh Journal of co-operative studies 5(1),35- 48.

प्रस्तुत लेख में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी ऋण प्रणाली में मौजूद चुनौती पर आधारित है। लेख में किसानों के द्वारा ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्या तथा ऋण प्राप्त करने में विलंब पर आधारित है। शोध में पाया गया कि सहकारी ऋण वितरण प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है किंतु कार्य क्षमता अपेक्षित स्तर की नहीं है अपर्याप्त पूंजी, सीमित संसाधन तथा सरकारी सहायता

पर अत्यधिक निर्भरता प्रमुख समस्याये सामने आये। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के द्वारा ऋण वितरण प्रक्रिया में विलंब होने के कारण ऋण प्राप्ति के लिए जटिल औपचारिकता तथा प्रशासनिक अक्षमताएं किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने में अड़चन उत्पन्न करती हैं उनके लेख के अध्ययन में यह पाया गया कि ऋण की वसूली कम होने से कालातित ऋण राशि बढ़ रही है जिसके कारण समितियों पर वित्तीय स्थिति नकारात्मक प्रभाव डाल रही है साथ ही समिति में कार्यरत कर्मचारियों की कुशलता, प्रशिक्षित एवं योग्य मानव संसाधन की कमी के कारण सहकारी साख समितियों की कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है। इसके साथ ही समिति का संचालन प्रजातांत्रिक पद्धति निर्वाचन द्वारा संचालक मंडल चुने जाने से जहां इसके लाभ है वहीं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी प्रभाव डालती है। कई मामलों में प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी भी एक चुनौती माना गया है इस शोधकर्ता ने अन्य वाणिज्यिक बैंक की तुलना में समिति में तकनीकी पिछड़ापन एवं डिजिटलीकरण का अभाव, ऋण वितरण की गति तथा उसके निगरानी में बाधक बताया गया है। समिति के सदस्य किसान ग्रामीण क्षेत्र के होने के कारण इनमें वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण ऋण का समुचित उपयोग करना तथा समय पर पूर्ण भुगतान नहीं कर पाना मुख्य कारण माना है। यह अध्ययन निष्कर्ष स्वरूप में सुझाव देता है कि संरचनात्मक सुधार, तकनीकी आधुनिकता, प्रशिक्षण एवं सुधार निगरानी से सहकारी ऋण वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाया जा सकता है।

3. शोध अंतराल (Research Gap)

सहकारी समिति से अध्ययन अधिकतर राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड के द्वारा यह भारत के बड़े-बड़े राज्यों में इस पर लेख लिखा जाता है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति बहुत ही भिन्न है। यह राज्य अपनी स्थापना के 25 वाँ वर्ष मना रहा है अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में संचालित सहकारिता विभाग की योजनाएं शून्य प्रतिशत, अल्पकालिक ऋण वितरण धान खरीदी प्रणाली आदि स्थानीय ग्रामीणों की आवश्यकता का साधन रही है इन योजनाओं का प्रभाव सहकारी समिति के सदस्यों पर पड़ता है। इन सदस्यों के संबंध में साहित्य समीक्षा में कोई विशेष अध्ययन नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त राज्य की आर्थिक स्थिति भौगोलिक दशाएं एवं राजनीतिक स्थिति के संबंध में इस क्षेत्र पर आधारित पूर्ववर्ती अध्ययन में कहीं उल्लेख नहीं पाया गया। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुमूल्यवनो से आच्छादित कृषि प्रधान राज्य में सहकारी समिति के सदस्य कृषि ऋण पर निर्भर करते हैं अतः यह जानना आवश्यक है कि यह सदस्य जो इनको ऋण प्राप्त हो रहा है उसके प्रति यह कितने जागरूक हैं क्या उन्हें ऋण नीति का पूरा ज्ञान है क्या ऋण वितरण से संबंधित समस्त व्यवसाय उनकी वापसी आदि से भली-भांति परिचित हैं क्या यह ऋण राशि का संपूर्ण प्रयोग इसी कार्य में करते हैं क्या उनकी भूमिका वास्तविक है और अपने ही खेत पर फसल का उपज करते हैं इन सब मुद्दों को हमारे शोध पेपर में उल्लिखित किया जाएगा अतः प्रस्तुत पत्र इस अंतर को भरने का प्रयास करेगा।

4 शोध प्रविधि (Research Methodology)

1. शोध का अर्थ एवं विधि (Meaning and method of research)

किसी समस्या की पहचान कर उसकी खोज करना विभिन्न मापदंड के अनुसार बिंदुवार उसका अध्ययन करना तर्क सहित विवरण प्रस्तुत करना, विश्लेषण के लिए आंकड़ों का संग्रहण करना तथा निर्वचन करना ताकि प्राप्त परिणाम उपयोगी एवं प्रासंगिक हो, शोध कहलाता है।

2. वर्णनात्मक शोध प्रविधि

प्रस्तुत पत्र हेतु वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमको विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सहकारी समिति के माध्यम से कृषक सदस्यों को कृषि कार्य हेतु अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है जिसका लाभ कृषक सदस्य को होता है। हम यह जानने के उत्सुक हैं कि जितने भी कृषक सदस्य हैं जो अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त करते हैं उनमें से इस ऋण प्रक्रिया तथा शासन की नीतियों के बारे में कितने जागरूक हैं इसका अध्ययन करने के लिए विभिन्न तथ्यों का वर्णनात्मक रूप प्रस्तुत किया जाएगा अतः शोध हेतु शोध की वर्णनात्मक विधि का चयन किया जा रहा है।

3. अध्ययन हेतु जनसंख्या (Study Population)

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन हेतु अभनपुर विकासखंड के अंतर्गत स्थापित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा अभनपुर एवं उसके अधीनस्थ आने वाली विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के सदस्यों का अध्ययन प्रमुख क्षेत्र माने जाएंगे।

4. न्यादर्श विधि का चयन (Selection of Sampling Method)

शोध पत्र के अध्ययन हेतु जनसंख्या का चयन करने के बाद अगली जो आवश्यकता होती है वह न्यादर्श विधि का चयन होता है अतः इस उद्देश्य से उचित रीति का चयन कर न्यादर्श का चयन किया जा रहा है जिससे कि जनसंख्या की पूरी विशेषताएं हमारे इस न्यादर्श विधि के आधार पर प्रतिनिधित्व कर सके।

5. न्यादर्श की प्रकृति (Nature of the Sample)

इस शोध पत्र के लेखन में गैर प्रायिकता न्यादर्श विधि को लिया जाएगा। इस हेतु हम सरल सुविधाजनक न्यादर्श (convenient sample) विधि अर्थात ऐसे समितियाँ एवं ऐसे सदस्यों से संपर्क करेंगे जो हमसे आसानी से संपर्क हो सके और हमें हमारे प्रश्नों के जवाब दे सके प्राप्त प्रश्नावली के आधार पर उसका विश्लेषण कर हम सदस्यों की जागरूकता का अध्ययन कर सकते हैं।

6. न्यादर्श का आकार (Sample Size)

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा अभनपुर के अंतर्गत आने वाली विभिन्न समितियों के सदस्य न्यादर्श के आकार को निर्धारित करते हैं इससे बड़े न्यादर्श अर्थात न्यादर्श का आकार 30 (Sample size 30) या उससे अधिक रखा जाएगा। गूगल फॉर्म के द्वारा प्रश्नावली (Questionnaire) वितरित की जाएगी एवं प्रत्यक्ष रूप से भी व्यक्तिगत संपर्क कर सूचना एकत्र की जाएगी।

7. न्यादर्श चयन के मापदंड (Sample Selection Criteria)

A. समावेश मापदंड (Inclusion Criteria)

समावेश मापदंड के अंतर्गत हम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा अभनपुर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के सदस्य जिन्होंने अपने कृषि कार्य हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त किए हैं, उन सदस्यों को हम अपने अध्ययन में शामिल करेंगे।

B. बहिष्कारण मापदंड (Exclusion Criteria)

शोध पत्र के लेखन में न्यादर्श चयन करते समय कौन से सदस्यों को शामिल नहीं करना है जो शहरी क्षेत्र में निवासरत है और सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं एवं विभिन्न सदस्य नहीं आएंगे जिन्होंने अभी तक सहकारी समिति से किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है।

8. न्यादर्श की विविधता (Sample Diversity)

शोध पत्र के लेखन में न्यादर्श की विविधता को विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस उद्देश्य से छोटे किसान, बड़े किसान, शहरी क्षेत्र मे रहने वाले किसान, ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत किसान, अलग-अलग समितियों के पंजीकृत किसान शामिल किए जाएंगे जिससे हमारे अध्ययन के उद्देश्य के रूप

में विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सके।

5. आंकड़ों के संग्रहण की विधियां (Methods of Data Collection)

A. प्राथमिक आंकड़े (Primary Data)

यह वह आंकड़ा होता है जिसे शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु प्रथम बार एकत्र करता है। प्रस्तुत शोध में सहकारी समिति के सदस्य से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर एवं गूगल फॉर्म पर प्रश्नावली तैयार कर जानकारी एकत्र की जाएगी।

B. द्वितीयक आंकड़े (Secondary Data)

यह वह आंकड़ा होता है जिसे शोधकर्ता द्वारा पहले किसी के द्वारा उपयोग में लाया गया हो और वह अपने कार्य हेतु उसे उपयोग में दोबारा ले रहा है। इस उद्देश्य से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से कृषक सदस्यों की संख्या, विगत 5 वर्षों में ऋण प्राप्ति के आंकड़े आदि लिए जाएंगे।

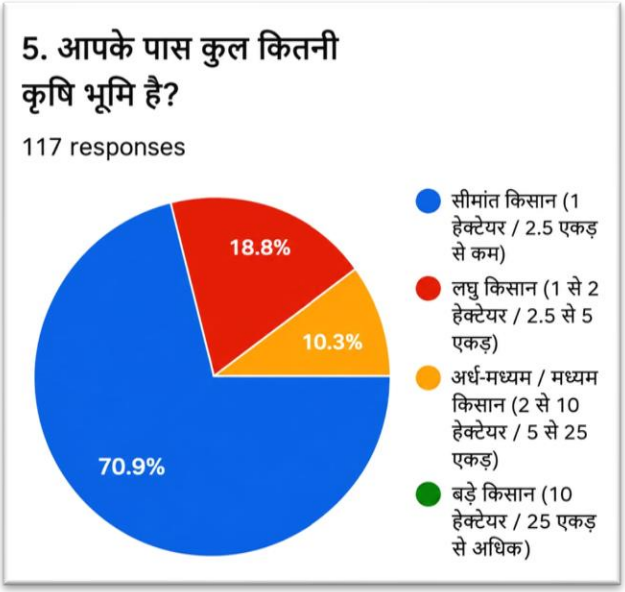
6. शोध की सीमाएं (Limitations of the Research)

प्रस्तुत शोध पत्र में अभनपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा से संबंधित विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के सदस्य अध्ययन की सीमा क्षेत्र का निर्धारण करते हैं।

7. विश्लेषण एवं व्याख्या (Analysis and Interpretation)

शीर्षक के आधार पर शोध पत्र हेतु आंकड़ों का एकत्रीकरण एक प्रमुख कार्य है। इस हेतु मेरे द्वारा 20 प्रश्नों का एक गूगल फॉर्म बनाया गया है जो निम्नानुसार है। उसके अंतर्गत जितने भी इस फॉर्म के द्वारा प्रतिक्रिया हमको प्राप्त होती है। उसके आधार पर परिणाम निकाली गयी है -

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा अभनपुर के कृषक सदस्यों में 71% कृषकों के पास एक हेक्टेयर अर्थात ढाई एकड़ से कम जमीन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहां के जो सदस्य हैं वह उतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। प्रश्नावली के अनुसार प्रश्न क्रमांक 6 में वार्षिक आय के संबंध में था प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 80.3 प्रतिशत सदस्यों की आय ₹100000 से कम है। क्योंकि ढाई एकड़ से कम अगर खेत की जमीन है तो उनकी वार्षिक आमदनी भी कम होगी जिसका प्रभाव उनके सामाजिक स्तर पर पड़ता है। इससे उनके पास आधुनिक संसाधनों का अभाव प्रतीत होता है जैसे टीवी, समाचार-पत्र, मोबाइल उपरोक्त अनुसार उनके कृषि वितरण की जागरूकता की कमी का एक मुख्य कारण है।

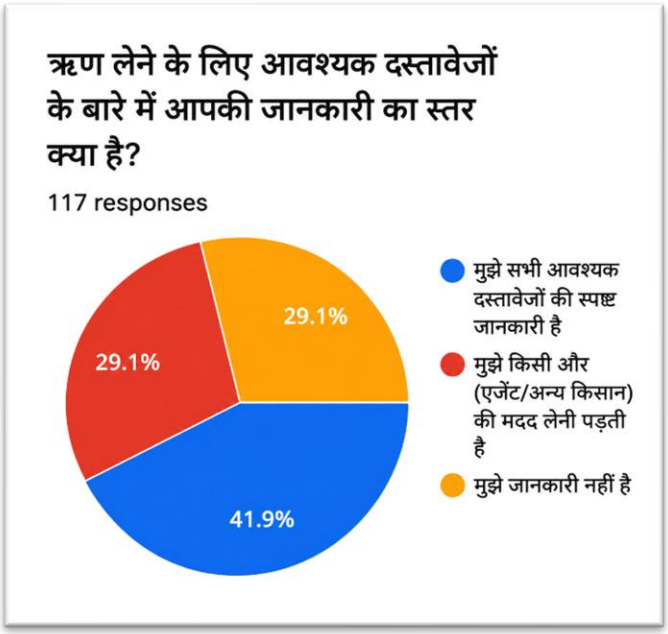


2. सदस्य अधिकांश समिति में आना-जाना नहीं करते जब उनको खाद की आवश्यकता होती है या पंजीयन कराना होता है या धान का विक्रय करना होता है तभी वह समिति के पास आते हैं। यदि सदस्य नियमित रूप से बैठक में आयोजित कर उपस्थित रहे तो निश्चित ही ऋण के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ेगी।

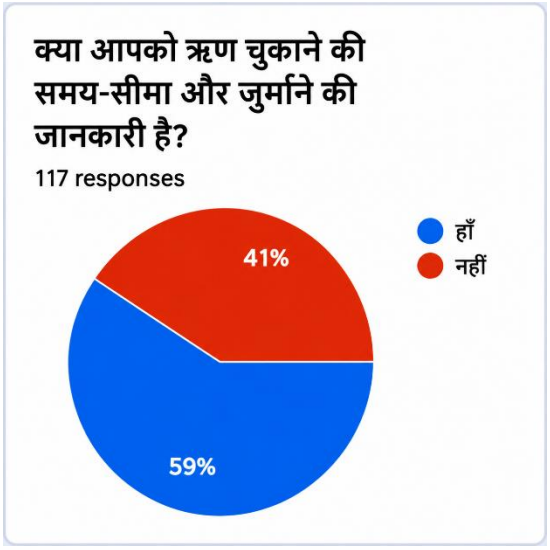
3. प्रश्नावली के अनुसार 117 लोगों का उत्तर हमें प्राप्त हुआ जिसमें आधे कृषक ने सहकारी समिति से कभी ऋण नहीं लिया है। अतः हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि आधे समूह को ऋण वितरण की जानकारी का अभाव ही यह मुख्य कारण है।

4. प्रश्नावली के दसवें प्रश्न में पूछा गया था कि क्या आपको समिति द्वारा दिए जाने वाले कृषि ऋण की वर्तमान ब्याज दर के बारे में जानकारी है। हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 42% ऐसे सदस्य हैं जिनको ब्याज की वर्तमान दर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः इतनी बड़ी संख्या में यह उत्तर प्राप्त होना निश्चित ही किसानों का सहकारी समिति द्वारा वितरित कृषि ऋण और ब्याज दर के संबंध में जागरूकता के अभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें से 35% लोग ऐसे हैं जो सरकार द्वारा दी जाने वाली शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना के बारे में नहीं जानते हैं।

5. 117 उत्तरदाताओं में से 29% लोगों ने यह उत्तर दिया है कि उन्हें ऋण लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। केवल 42% लोग ही ऋण प्राप्त करने के संबंध में कौन-कौन से दस्तावेज उनके लिए जरूरी हैं यह जानते हैं। अतः व्यापक रूप से बाकी सदस्यों को भी इस दिशा में जानकारी देना आवश्यक है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में यह पूछा गया था कि क्या आपको सहकारी समिति द्वारा वितरित किए जाने वाले विभिन्न ऋणों जैसे अल्पकालीन, मध्यकालीन आदि की जानकारी है तो बहुत से किसान इसमें जानकारी का अभाव प्रस्तुत किए हैं।



6. कृषि ऋण चुकाने की जागरूकता के संबंध में पूछे गए प्रश्न में लगभग 59% लोगों ने कृषि ऋण समय पर न चुकाने पर जुर्माना संबंधी या अन्य कोई प्रावधान के बारे में जानकारी का अभावबताया है स्पष्ट है कि यदि सदस्य को समय पर ऋण न चुकाने के परिणाम की जानकारी हो तो वह समय पर चुका देगा किंतु यदि जानकारी नहीं है तो इससे कालातीत सदस्य एवं राशि में वृद्धि होगी सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सदस्य को ऋण समय पर न चुकाने पर उन्हें प्राप्त होने वाला ब्याज अनुदान नहीं मिलेंगे तथा दंडएवं ब्याज लगाने की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

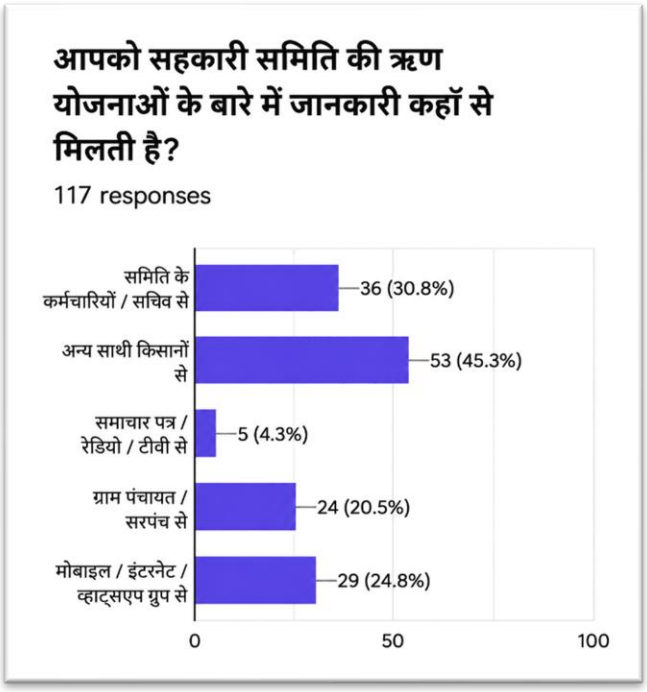


7. उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया था कि आपको सहकारी समिति की ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। इस संबंध में प्राप्त उत्तर के अनुसार 36 प्रतिशत सदस्यों ने समिति के कर्मचारी व सचिव से जानकारी मिलना स्वीकार किया है। 53% सदस्य अन्य साथी किसानों से यह जानकारी प्राप्त होने की बात कही। इसके अतिरिक्त मोबाइल व इंटरनेट तथा व्हाट्सएप ग्रुप से 30% लोगों ने इसे स्वीकार किया। केवल 5% ऐसे सदस्य थे जिन्होंने समाचार पत्र टीवी पर रेडियो से जानकारी मिलना स्वीकार किया। अतः इससे स्पष्ट है कि किसानों की ऋण संबंधी जागरूकता बढ़ाने में समाचार पत्र रेडियो टीवी बहुत ही पीछे हैं। यदि इस पर प्रयास किया जाए तो निश्चित ही जागरूकता के प्रतिशत में वृद्धि होगी।

8. सहकारी समिति से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में प्रश्न कहा गया था जिसमें 40% लोगों ने स्वीकार किया है कि ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है अतः जागरूकता के संबंध में यह स्पष्ट है कि ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए, जिससे कि सभी किसानों को ऋण की पूरी प्रक्रिया का पूरा ज्ञान हो और वह अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सके, समय पर ऋण चुका सके एवं ब्याज अनुदान का लाभ ले सके तथा दंड ब्याज से बच सके।

9. ऋण प्राप्त करने में सदस्यों को किस प्रकार का मुख्य सामना करना पड़ता है तो इसके प्रति उत्तर में 38% लोगों ने यह स्वीकार किया है कि दस्तावेजों की लंबी और जटिल प्रक्रिया है। 22 प्रतिशत लोगों ने समिति में कर्मचारियों का अभाव या उनकी कम संख्या को माना है। 26 प्रतिशत लोगों ने कोई समस्या नहीं होना स्वीकार किया है। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऋणवितरण प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाए, दस्तावेजों को कम किया जाए, समिति में कर्मचारियों की संख्या में प्राप्त मात्रा में वृद्धि को भरा जाए।

10. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा अभनपुर के सदस्यों से पूछे गए प्रश्नावली में 44% सदस्य सहकारी समिति के कार्य प्रणाली एवं ऋण वितरण से संतुष्ट हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि 56% लोगों को संतुष्ट करने हेतु जो कमियाँ उजागर हुई हैं उसे पूरा करने की आवश्यकता है।



8. विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष **conclusions drawn from the analysis**

1. एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर उनका विश्लेषण करके सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि सदस्यों में सहकारी समिति के ऋण वितरण में जागरूकता कम है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस हेतु सर्वप्रथम प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में कृषक सहायता केंद्र स्थापित किया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्यों को ऋण वितरण संबंधी जानकारी दी जाए।
2. प्रत्येक सदस्य को समिति की सभा में उपस्थित होने हेतु प्रेरित किया जाए, जिसके आधार पर सदस्य समिति की कार्य प्रणाली से परिचित होंगे।
3. समिति के कर्मचारियों का व्यवहार सदस्यों के प्रति अच्छा हो। उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें एवं समिति के कार्यों का संपादन समय पर करें, जिससे कि किसानों को अनावश्यक भटकना न पड़े। यदि कृषक मानसिक रूप से समिति से अच्छे भाव रखेगा तो उसकी जागरूकता भी बढ़ेगी।
4. समिति अपनी क्षमता के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करें प्रायः यह देखा गया है कि समिति में नियमित कर्मचारियों का अभाव है तथा कितने कर्मचारी की आवश्यकता है उससे भी कम कर्मचारी कार्यरत हैं। इससे समिति के कार्य में पर्याप्त कुशलता नहीं आती, अनावश्यक देर होता है, जिसका प्रभाव किसानों पर पड़ता है। उन्हें ऋण लेने में कई दिन लग जाते हैं। अतः समिति के प्रति उनका रुझान कम होने लगता है।
5. सहकारी समिति से ऋण प्राप्त करने में एक सरल प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। ऋण वितरण करने की लंबी प्रक्रिया, अत्यधिक दस्तावेज, ऑनलाइन एंट्री में किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाण एवं अन्य ऐसी बहुत सी बातों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। अर्थात कृषक सदस्यों का जमीन के पंजीयन से लेकर उन्हें ऋण नगद एवं खाद का वितरण, तथा धान की रकम का भुगतान एवं अंतिम रकम प्राप्त, इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने तथा सदस्यों को उनसे परिचित कराने की आवश्यकता है।

9. सारांश Refrence

1. Shetty and Dsouza, (2022). Primary agriculture credit cooperative society a systematic review of literature.
2. Chaudhary, A. (2020).Role of PACS in credit distributions in Chhattisgarh Rural Finance Quarterly,6(1), 33-40.
3. सहकारिता विभाग प्रशासकीय प्रतिवेदन - वर्ष 2025 -26